भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 2303

02 जनवरी,2018 को उत्तर के लिए

HkLokfe;k d fy;s odfYid Hk[kM

2303- Mkñ mfnr jkt%

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा 1961 में बनाई गई नीति के अनुसार, उन भूस्वामियों को वैकल्पिक भूखंड दिये जायेंगे जिनकी भूमि दिल्ली के नियोजित विकास हेतु अधिगृहीत की जायेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वे भूस्वामी वैकल्पिक भूखंडों के पात्र नहीं होंगे जिनके पास गांव की परिसीमा के भीतर अपने नाम पर अथवा अपने आश्रितों के नाम पर भूमि नहीं है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14.09.2011 के आदेश के अनुसार भूखंड केवल उन्हीं व्यक्तियों को आवंटित किये जायेंगे जिनकी संपूर्ण भूमि अधिगृहीत की जायेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को वैकल्पिक भूखंड मुहैया कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क)और(ख): दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 1961 की नीति के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) द्वारा अग्रेषित अनुशंसाओं के आधार पर दि.वि.प्रा. द्वारा वैकल्पिक भूखंड आबंटित किए गए थे और वैकल्पिक भूखंड के आवंटन की पात्रता का निर्णय भी जीएनसीटीडी द्वारा किया जाता है ।

(ग)और(घ): माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 14.09.2011 के आदेश के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ पाया कि स्कीम का उद्देश्य यह है कि जब व्यक्ति के स्वामित्व वाली भूमि को पूरी तरह से ले लिया जाता है और वह बिना घर अथवा जमीन के रह जाता है तब उसे भूखंड का आवंटन किया जाना चाहिए । इसलिए स्कीम में व्यवस्था की गई है कि केवल वही व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र होगा जिसके पास स्वयं का घर/रिहायशी भूखंड/फ्लैट न हो । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि वैकल्पिक भूखंड का आवंटन एक सतत् और निरंतर प्रक्रिया है और पात्र लाभार्थियों के संबंध में वैकल्पिक भूखंड के आवंटन के लिए ड्रॉ भूमि की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर निकाले जाते हैं ।

******